फैक्स / ई-मेल

पत्रांक – 05 / अधि० / विविध–02 / 2026 – 2484

## झारखण्ड सरकार

## खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
झारखण्ड।

/राँची, दिनांक – 03/9/26

**विषय :–** **खरीफ विपणन मौसम 2026–27 में किसानों से धान अधिप्राप्ति योजना के तहत धान अधिप्राप्ति करने से संबंधित प्रेस–विज्ञप्ति प्रकाशित करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि खरीफ विपणन मौसम 2026–27 में किसानों से धान अधिप्राप्ति योजना के तहत धान अधिप्राप्ति करने से संबंधित प्रेस–विज़्ञप्ति को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु संलग्न कर भेजा जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रेस–विज्ञप्ति को झारखण्ड राज्य में प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में बड़े आकार में प्रकाशित करवाने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,
03/09/26

**अनुलग्नकः– यथोक्त।**

**(संजय कुमार),**
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–05 / अधि० / विविध–02 / 2026 – 2484 /राँची,दनांक– 03/9/26

**प्रतिलिपि–** श्री मुकेश कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर को निदेश दिया जाता है कि प्रेस–विज्ञप्ति को सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड को ऑन–लाईन भेजने के साथ–साथ विभागीय वेबसाईट पर आज ही अपलोड करें।

03/09/26

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

## प्रेस विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि खरीफ विपणन मौसम 2026–27 में धान अधिप्राप्ति प्रक्रिया को पारदर्शी, सुगम तथा बिचौलिया मुक्त बनाने के लिए केवल उन्हीं किसानों से धान की अंधिप्राप्ति की जायेगी जिनका e-KYC तथा भूमि सत्यापन अंचल कार्यालय के माध्यम से सफलतापूर्वक पूरा हो चुका हो। उक्त हेतु कुल 2,84,740 SMS के द्वारा 1,59,226 किसानों को पूर्व में सूचित किया जा चुका है।

इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य वास्तविक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का सीधा लाभ पहुँचाना है।

अधिक जानकारी के लिए धान बेचने को इच्छुक किसान भाई–बहन अपने नजदीकी लैम्पस/पैक्स, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी (BSO) तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी (DSO) से सम्पर्क स्थापित कर 15 नवम्बर, 2026 से पूर्व अपना e-KYC तथा भूमि सत्यापन करवाना सुनिश्चित करें।

03/09/26
(संजय कुमार)
अवर सचिव।